

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क.मांक-467/2008  
संस्थित दिनांक-03/07/2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

करनसिंह पिता सुकलुसिंह कुरराम, उम्र-32,  
निवासी-ग्राम डोंगरिया, थाना रूपझर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-15/10/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 (सात काउंट), 338 (दो काउंट) एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-134/187 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-26.04.2008 को समय प्रातः 7:00 बजे स्थान भैसानघाट बैहर गढ़ी रोड, आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/एम.1383 मय ट्राली क्रमांक-एम.पी.50/एम.1384 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन को मोड़ पर पलटा दिया, जिससे उसमें सवार संतलाल आर्मी, दुली राउत, जितेन्द्रसिंह मरावी, झामूसिंह, रमेश मरावी, गुल्लुसिंह, रविन्द्र को साधारण उपहति कारित किया तथा आहत आहत कृपालसिंह एवं लालसिंह को अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया तथा उक्त आहतगण को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं करवाया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक-26.04.2008 को समय प्रातः 7:00 बजे स्थान भैसानघाट बैहर गढ़ी रोड, आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/एम.1383 मय ट्राली क्रमांक-एम.पी.50/एम.1384 को लापरवाही पूर्वक व तेज गति से चलाकर मोड़ पर पलटा दिया, जिससे उक्त वाहन में बैठे लोगों को चोट कारित हुई। उक्त आहतगण को ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल बैहर में भर्ती करवाया गया। अस्पताल तहरीर के आधार पर थाना बैहर में आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-47/2008, धारा-279, 337 भा.द.वि. का प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। पुलिस द्वारा आहतगण का मुलाहिजा करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया,

आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आहत कृपालसिंह एवं लालसिंह की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में आहतगण को आयी फ्रेक्चर रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. एवं वाहन चालक द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण न कराने तथा घटना की सूचना पुलिस थाने में दिये जाने के कारण धारा-134/187 मोटर यान अधिनियम का इजाफा कर अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 279, 337(सात काउंट), 338 (दो काउंट) एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-134/187 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-26.04.2008 को समय प्रातः 7:00 बजे स्थान भैसानघाट बैहर गढ़ी रोड, आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/एम.1383 मय ट्राली क्रमांक-एम. पी.50/एम.1384 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मोड़ पर पलटा दिया, जिससे उसमें सवार संतलाल आर्मी, दुली राउत, जितेन्द्रसिंह मरावी, झामूसिंह, रमेश मरावी, गुल्लुसिंह, रविन्द्र को साधारण उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मोड़ पर पलटा दिया, जिससे उसमें सवार आहत कृपालसिंह एवं लालसिंह को अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया ?
4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर दुर्घटना में घायल आहतगण को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं करवाया?

#### विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- देवलाल मरावी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना वर्ष 2008 की है। घटना दिनांक को वह अपनी लडकी को ससुराल से लाने के लिये ट्रेक्टर से ग्राम मण्डवा से गढ़ी खजरा आ रहे थे तो भैसानघाट के पास मोड़ पर ट्रेक्टर पलट गया था। उस समय ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। उसे उक्त दुर्घटना में चोट नहीं आयी थी, ट्रेक्टर में बैठे नौ लोगों को चोट आयी थी। उसके लडके कृपाल

को बांये हाथ में चोट आयी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ट्रेक्टर को सामान्य गति से चला रहा था और मौके पर आरोपी ने धीमी गति से ट्रेक्टर को मोड़ा था, किन्तु रोड़ में गड़ड़ा होने से ट्रेक्टर का पहिया चला गया, जिससे ट्रेक्टर पलट गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ट्रेक्टर को लापरवाही पूर्वक नहीं चला रहा था। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन पक्ष का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

6— त्रिपालसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना सन् 2008 भैसानघाट की है। घटना दिनांक को वे लोग बारात से ट्रेक्टर में बैठकर मण्डवा आ रहे थे। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। ट्रेक्टर पलट गया था, जिससे उसे बांये हाथ और बांये पैर में चोट आयी थी। वह नहीं बता सकता कि ट्रेक्टर किस प्रकार चल रहा था। आरोपी ट्रेक्टर को मिडियम गति से चला रहा था। उक्त ट्रेक्टर पलटने में आरोपी की गलती नहीं थी। उसका चिकित्सीय परीक्षण बैहर अस्पताल में हुआ था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ट्रेक्टर किसकी गलती से पलटा, व नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन पक्ष का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

7— संतलाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना 3 वर्ष पूर्व की है, वे लोग बारात से वापस मण्डवा आ रहे थे तो रास्ते में ट्रेक्टर पलट गया था, जिससे उसके बांये कान में चोट आयी थी। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। उक्त ट्रेक्टर पलटने में किसी की गलती नहीं थी। उसका चिकित्सीय परीक्षण बैहर में हुआ था फिर उसके उपरांत बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिस कारण ट्रेक्टर पलट गया था। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन पक्ष का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

8— दुलीचंद (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2008 की है। घटना दिनांक को वह ग्राम खजरा बारात में गया था और ट्रेक्टर वापिस लौट रहा था। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। रास्ते में उक्त ट्रेक्टर भैसानघाट के पास पलट गया था, जिससे उसके सीने के दोनों तरफ और कमर में चोट आयी थी। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। उसका ईलाज बैहर अस्पताल में हुआ था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिस कारण ट्रेक्टर पलट गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती से घटित नहीं हुई। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन

पक्ष का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— जितेन्द्रसिंह (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपी को पहचानता है, वह ग्राम डोंगरिया का रहने वाला है। घटना वर्ष 2008 की है। घटना दिनांक को वे लोग ट्रेक्टर से ग्राम मण्डवा से ग्राम खजरा बारात में गये थे। बारात से वापिस लौटते समय रास्ते में भैसानघाट के पास ट्रेक्टर की ट्राली पलट गयी थी, जिससे उसके हाथ, कमर व सीने में चोट आयी थी। घटना के समय वह ट्रेक्टर ट्राली में बैठा था। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी घटना के समय धीमी गति से चला रहा था। वह नहीं जानता कि उक्त घटना किसकी गलती से हुई थी, क्योंकि घटना के बाद वह बेहोश हो गया था। उसका चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिस कारण ट्रेक्टर पलट गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी की लापरवाही से उक्त घटना घटित नहीं हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन पक्ष का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

10— रविन्द्र मेरावी (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2008 की है। घटना दिनांक को जब वे सुमीला की बारात से वापिस खजरा से ट्रेक्टर में बैठकर ग्राम मण्डवा आ रहे थे तो उनका ट्रेक्टर भैसानघाट के पास मोड़ पर पलट गया था। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। घटना समय आरोपी ट्रेक्टर को धीमी गति से चला रहा था। उसका चिकित्सीय परीक्षण बैहर अस्पताल में हुआ था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिस कारण ट्रेक्टर पलट गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से घटित नहीं हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन पक्ष का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

11— लालसिंह आरमो (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब 03 वर्ष पूर्व दोपहर के करीब 3:00 बजे की है। घटना दिनांक को भैसानघाट में ट्रेक्टर पलट गया था, जिसमें वह बैठा था। उक्त घटना में ड्राइवर की गलती थी, क्योंकि आरोपी ट्रेक्टर को कुदाते हुये चला रहा था। घटना समय ट्रेक्टर की गति बहुत अधिक थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना स्थल मोड़ वाला रास्ता था जो खराब था तथा आरोपी ने वाहन को बचाने का बहुत प्रयास किया था। साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती व लापरवाही से घटित नहीं हुई तथा आरोपी वाहन को धीमी गति से चला रहा था। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन पक्ष का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।



12— गुल्लुसिंह (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब 4-5 वर्ष पूर्व सुबह 10 बजे की है। घटना दिनांक को वह ट्रेक्टर में बैठा हुआ था, आरोपी ने भैसानघाट में ट्रेक्टर को चलाते हुये मोड़ पर पलटा दिया था। उक्त घटना में उसक सीने पर चोट आयी थी। ट्रेक्टर को आरोपी लहराते हुये चला था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय रास्ता खराब होने के कारण चालक वाहन को धीमी गति से चला रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने वाहन को पलटने से बचाने के लिये बहुत प्रयास किया था तथा उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही एवं गलती से घटित नहीं हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन पक्ष का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

13— तनवीर अहमद (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे आटोमोबाईल का अधिक ज्ञान नहीं है। उसके पास ट्रेक्टर वाहन रहे हैं, जिसके आधार पर उसे वाहनों के संबंध में थोड़ी-बहुत जानकारी है। उसके द्वारा ट्रेक्टर का मैकेनिकल परीक्षण नहीं किया गया था, परन्तु मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/एम.1386 का मैकेनिकल परीक्षण किया गया था। इस प्रकार साक्षी ने दुर्घटना कारित वाहन का मैकेनिकल परीक्षण किये जाने के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

14— झामसिंह (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग 5 वर्ष की है। घटना दिनांक को वे ट्रेक्टर में बैठकर बारात से मण्डवा आ रहे थे। घटना समय उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था, जैसे ही ट्रेक्टर भैसानघाट आया तो ट्रेक्टर के सामने बंदर आ गया था, बंदर आने के कारण ट्रेक्टर पलट गया था, जिससे उसके बांये आंख के ऊपर चोट आयी थी। घटना समय आरोपी ट्रेक्टर को धीमी गति से चला रहा था। उसका ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में हुआ था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिस कारण ट्रेक्टर पलट गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पहली बार ट्रेक्टर के सामने बंदर आने वाली बात बताया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी तथा आरोपी वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक नहीं चला रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना रास्ते में मोड़ होने के कारण एवं रास्ता खराब होने के कारण घटित हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन पक्ष का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

15— चिकित्सीय साक्षी डी.के.राउत (अ.सा.11) ने अपनी साक्ष्य में जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलाजिस्ट के पद पर होते हुये आहत कृपालसिंह एवं लालसिंह के एक्सरे प्लेट के परीक्षण में उन्हें अस्थि भंग होने की पुष्टि की है। अन्य

आहत रविन्द्र के एकसरे परीक्षण में अस्थि भंग न होना प्रकट किया है। इस प्रकार साक्षी ने आहत कृपाल एवं लालसिंह को घोर उपहति कारित होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है। यद्यपि उक्त आहतगण को घोर उपहति कारित होना प्रमाणित मान लिया जाये तब भी उक्त उपहति हेतु आरोपी को दोषसिद्ध ठहराये जाने हेतु प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव होने से उक्त चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता।

16— अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिन महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य करायी गई है, उन साक्षीगण ने अभियोजन मामले का मात्र इस सीमा तक समर्थन किया है कि घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन आरोपी चला रहा था और घटना स्थल मोड़ वाला भाग होने और वाहन का चक्का गड्ढे में आ जाने के कारण वाहन पलट गया, जिससे उसमें बैठे आहतगण को साधारण एवं घोर उपहति कारित हुई। उक्त सभी महत्वपूर्ण साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही एवं गलती से घटित नहीं हुई है। प्रकरण में आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाये जाने की साक्ष्य का अभाव है। ऐसी दशा में आरोपी को आरोपित अपराध के संबंध में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी ने मोटर यान अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन कर मौके पर आहतगण को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार उक्त के संबंध में भी अभियोजन ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

17— अभियोजन ने कथित घटना के समय आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को चलाये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना के समय आहतगण को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराया।

18— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/एम.1383 मय ट्राली क्रमांक-एम.पी.50/एम.1384 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन को मोड़ पर पलटा दिया, जिससे उसमें सवार संतलाल आर्मी, दुली राउत, जितेन्द्रसिंह मरावी, झामूसिंह, रमेश मरावी, गुल्लुसिंह, रविन्द्र को साधारण उपहति कारित किया तथा आहत आहत कृपालसिंह एवं लालसिंह को अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया तथा उक्त आहतगण को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं करवाया।। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(सात काउंट), 338(दो काउंट) एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-134/187 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

19— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

20— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन वाहन ट्रैक्टर क्रमांक—एम.पी.50/एम.1383, ट्राली क्रमांक—एम.पी.50/एम.1384 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार कत्तोबाई पति सुकलुसिंह निवासी डोंगरिया थाना रूपझर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)